भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1870
जिसका उत्तर गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

डिजिटल अवसंरचना का अभाव

1870 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय द्वारा 2021 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 41 प्रतिशत जिला न्यायालयों में स्टूडियो-आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी और केवल 14 प्रतिशत जिला न्यायालय परिसरों में चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो लिंकेज की सुविधा थी और 38 प्रतिशत में जेलों के साथ वीडियो लिंकेज की सुविधा थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका की डिजिटल अवसंरचना में सुधार और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक तार लगाए जाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी हां। भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक बुनियादी ढांचे और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति पर डेटा संकलित किया है, जिसके अनुसार 41 प्रतिशत जिला न्यायालयों में स्टूडियो-आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी और केवल 14 प्रतिशत जिला न्यायालय परिसरों के चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो लिंकेज थे और 38 प्रतिशत के पास जेलों के साथ वीडियो लिंकेज थे।

वर्चुअल सुनवाई के लिए ई- न्यायालय परियोजना के दूसरे चरण के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में तालुक स्तर के न्यायालय परिसरों सहित सभी न्यायालय परिसरों में एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण प्रदान किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने इन न्यायालय परिसरों में 14,443 न्यायालय कक्षों को वीसी उपकरण प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसके लिए 28.88 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है (विवरण उपाबंध । में दिया गया है) न्यायालय परिसरों में 2506 वीसी केबिन बनाने के अतिरिक्त 5.012 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। डॉक्यूमेंट विज़ुअलाइज़र स्थापित करने के लिए 7.60 करोड़- रुपये की राशि 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं सक्षम की गई हैं। वीसी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की मदद से, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने कोविड लॉकडाउन अवधि के प्रारम्भ से लेकर 31.10.2022 तक 1,65,20,791 वर्चुअल सुनवाई की। ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें चिकित्सा अधिकारियों के

लिए वर्चुअल सुनवाई सुविधा का भी उपबंध है। इसके अतिरिक्त, तीसरे चरण में आईसीजेएस के साथ एकीकरण भी सम्मिलित है, जो जेलों, फोरेंसिक आदि के साथ सहज संपर्क बनाता है।

ग): न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता में वृद्धि की दिशा में, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग द्वारा ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. ई-न्यायालय परियोजना चरण II के अधीन अब तक कुल 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को डिजिटाइज़ किया जा चुका है।

ii. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन , 2976 न्यायालय स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ प्रारम्भ किया गया है।

iii. मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं के लिए आधार बनाता है, आवश्यकता के आधार पर नि:शुल्क और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 को जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है ताकि मामलों के स्मार्ट शेड्यूलिंग में मदद मिल सके।

v.राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाए गए आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादी इन कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (01.12.2022 तक) 21.74 करोड़ से अधिक मामलों से संबंधित और 19.80 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लंबित निगरानी और अनुपालन में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों सहित संस्थागत मुकदमों को एनजेडीजी डेटा तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए 2020 में ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रारम्भ किया गया है।

vi. ई-न्यायालय परियोजना के हिस्से के रूप में, एसएमएस पुश और पुल (प्रतिदिन 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए), बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट्स), जेसीएस (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क) के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की स्थिति, वाद सूचियों, निर्णयों आदि पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31 अक्टूबर 2022 तक कुल 1.50 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए JustIS ऐप (30 नवंबर 2022 तक 17,709 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ECMT) बनाए गए हैं। JustIS मोबाइल ऐप अब iOS में भी उपलब्ध है।

vii. ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालय प्रारम्भ किए गए हैं। 21 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 2.30 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 31 लाख से अधिक मामलों में, 01.12.2022 तक 337 करोड़ रुपये से अधिक के ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की जा चुकी है।

viii. लॉकडाउन अवधि के प्रारम्भ के पश्चात से, भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2,97,435 सुनवाई, उच्च न्यायालयों ने 75,80,347 सुनवाई और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 1,65,20,791 सुनवाई की, 31.10.2022 तक कुल 2.41 करोड़ वर्चुअल सुनवाई हुई, जिससे भारत वर्चुअल सुनवाई में एक वैश्विक नेता बन गया । 14,443 न्यायालय कक्ष के वीसी उपकरणों के लिए निधियां भी जारी की गई हैं

। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए । 1732 डॉक्यूमेंट विजुअलाइजर्स की खरीद के लिए 7.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं।

ix. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) प्रारम्भ की गई है। प्रारूप ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय शुल्क, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं। 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में तारीख 31.10.2022 तक संशोधन किया गया है।

xi. सरकार ने ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए 12.54 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 28.02.2022 तक, 25 उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालयों में 619 ई-सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं।

xii. सम्मन देने और जारी करने की प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) प्रारम्भ की गई है। यह वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में लागू किया गया है।

xiii. बेंच द्वारा सर्च, केस टाइप, केस नंबर, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम,जज का नाम, एक्ट, सेक्शन, डिसीजन: फ्रॉम डेट, टू डेट और फुल टेक्स्ट सर्च जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

xiv. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, 24 उच्च न्यायालयों में 38 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम, जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है, स्थापित किया गया है।

xv. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और परिचित कराने की दिशा में और "स्किल डिवाइड" को संबोधित करने के लिए ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रीकरण कैसे करें" पर एक ब्रोशर अंग्रेजी, हिंदी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में वकीलों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ ई-कोर्ट सेवाओं के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 5,13,080 पणधारी सम्मिलित हैं, जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय के कर्मचारी, न्यायाधीशों/जिला प्रणाली प्रशासकों के बीच मास्टर ट्रेनर, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता भी हैं।

ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) आदि जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके देश भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है। अब तक, 99.4% साइटों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ जोड़ा जा चुका है।

*****

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1870 जिसका उत्तर तारीख 22.12.2022 को दिया जाना है के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरणों के लिए जारी निधि

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	कार्यशील न्यायालय कक्षों की संख्या	वीसी उपकरणों की संख्या पहले ही प्रदान की गई थी	प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त उपकरणों की संख्या	कुल अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
क	ख	ग	घ	ड	ङ=चx20000
1	इलाहाबाद	2438	150	2288	457.6
2	आंध्र प्रदेश	550	212	338	67.6
3	बॉम्बे	2178	486	1692	338.4
4	कलकत्ता	840	88	752	150.4
5	छत्तीसगढ	395	90	305	61
6	दिल्ली	479	6	473	94.6
7	गुवाहाटी	442	194	248	49.6
8	गुजरात	1078	327	751	150.2
9	हिमाचल प्रदेश	135	43	92	18.4
10	जम्मू - कश्मीर	218	86	132	26.4
11	झारखंड	417	28	389	77.8
12	कर्नाटक	1029	200	829	165.8
13	केरल	508	159	349	69.8
14	मध्य प्रदेश	1274	203	1071	214.2
15	मद्रास	1169	267	902	180.4
16	मणिपुर	38	37	1	0.2
17	मेघालय	36	64	0	0
18	ओडिशा	688	141	547	109.4
19	पटना	1046	76	970	194
20	पंजाब और हरियाणा	972	118	854	170.8
21	राजस्थान	1239	238	1001	200.2
22	सिक्किम	21	17	4	0.8
23	तेलंगाना	440	129	311	62.2
24	त्रिपुरा	78	66	12	2.4
25	उत्तराखंड	184	52	132	26.4
	कुल	**17892**	**3477**	**14443**	**2888.6**

****